कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. - 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 426/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 10.11.2026

थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़

☐ ध्वनि मानकों का उल्लंघन कर तेज आवाज में डीजे बजाने पर गम्भीरपुर पुलिस की कार्रवाई।

☐ पूर्व में डीजे संचालकों एवं पण्डाल आयोजकों के साथ बैठक कर मा0 न्यायालय के आदेशों एवं निर्धारित ध्वनि मानकों से कराया गया था अवगत।

☐ मूर्ति विसर्जन के दौरान नियमों का उल्लंघन करने पर डीजे सिस्टम सहित पिकअप वाहन सीज।

घटना एवं कार्रवाई का विवरण- दिनांक 09.11.2026 को उ0नि0 अभिषेक सिंह मय हमराह का0 नोमान अख्तर क्षेत्र में भ्रमणशील थे। इसी दौरान मूर्ति विसर्जन के अवसर पर पिकअप वाहन संख्या UP65FT3303 पर डीजे लगाकर राजनीतिक दलों से संबंधित गाने तेज आवाज में बजाए जाने की जानकारी प्राप्त हुई। पुलिस टीम द्वारा डीजे संचालक को ऐसा करने से मना किया गया, किन्तु इसके बावजूद और अधिक तेज आवाज में गाने बजाए जाने लगे। इससे अन्य मूर्ति आयोजकों में आक्रोश उत्पन्न होने लगा तथा शांति व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका उत्पन्न हो गई।

उल्लेखनीय है कि थाना गम्भीरपुर पुलिस द्वारा पूर्व में ही डीजे संचालकों एवं पण्डाल आयोजकों के साथ बैठक आयोजित कर मा0 न्यायालय के आदेशों एवं निर्देशों तथा निर्धारित ध्वनि मानकों का पालन करने के संबंध में स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया था। इसके बावजूद निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए पिकअप वाहन संख्या UP65FT3303 को डीजे साउंड सिस्टम सहित धारा 207 एमवी एक्ट के अंतर्गत सीज कर दिया गया। प्रकरण में अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम—
1. उ0नि0 अभिषेक सिंह, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।
2. का0 नोमान अख्तर, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।

☐ आजमगढ़ पुलिस की कार्रवाई में अलग-अलग थाना क्षेत्रों से नाबालिग बालिकाओं को बहला-फुसलाकर भगाने एवं दुष्कर्म के मामले में कुल 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

☐ थाना तरवां पुलिस ने नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर भगाने के मामले में 01 अभियुक्त तथा थाना महराजगंज पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

1. थाना तरवां: नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर भगाने के मामले में अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का विवरण- दिनांक 29.09.2026 को थाना तरवां क्षेत्रान्तर्गत एक व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई कि उसकी करीब 13 वर्षीय पुत्री को रामअवतार राजभर पुत्र इन्द्रदेव राजभर निवासी ग्राम नौरसिया (दशवतपुर), थाना तरवां, जनपद आजमगढ़ बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया है। काफी खोजबीन के बाद भी बालिका का कोई पता नहीं चलने पर प्राप्त तहरीर के आधार पर दिनांक 01.10.2026 को थाना तरवां पर मु0अ0सं0 199/2026 धारा 137(2), 87 बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसकी विवेचना उ0नि0 सूरज तिवारी द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 10.11.2026 को उ0नि0 सूरज तिवारी मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्त रामअवतार राजभर पुत्र इन्द्रदेव राजभर निवासी ग्राम नौरसिया (दशवतपुर), थाना तरवां, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 20 वर्ष को परमानपुर चौराहे के पास से समय करीब 11:40 बजे गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में अभियुक्त अपनी गलती की माफी मांगते हुए अपना बयान मा0 न्यायालय में देना बता रहा है।
आपराधिक इतिहास- मु0अ0सं0 95/2026 धारा 74, 115(2), 130 बीएनएस, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़।

2. थाना महराजगंज: दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का विवरण- दिनांक 09.10.2026 को थाना महराजगंज क्षेत्रान्तर्गत एक महिला द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त सूरज पुत्र बरखू निषाद निवासी ग्राम कम्हरिया, थाना राजेसुल्तानपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा उसके घर में घुसकर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना महराजगंज पर मु0अ0सं0 274/2026 धारा 64(1) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था।
गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 10.11.2026 को थानाध्यक्ष जयप्रकाश मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त सूरज पुत्र बरखू निषाद निवासी ग्राम कम्हरिया, थाना राजेसुल्तानपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 23 वर्ष को औघड़गंज बाजार के पास से समय करीब 11:10 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।
गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमें—
थाना तरवां: उ0नि0 सूरज तिवारी एवं का0 सूरज मौर्या।
थाना महराजगंज: थानाध्यक्ष जयप्रकाश, का0 रामाआशीष प्रजापति, का0 कृष्णानन्द भारती एवं का0 हिमांशु गुप्ता।

☐ आजमगढ़ पुलिस की कार्रवाई में अलग-अलग थाना क्षेत्रों से कुल 02 अभियुक्त गिरफ्तार।
☐ थाना बरदह पुलिस ने पुरानी रंजिश में युवक की हत्या के प्रयास के मामले में 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।
☐ थाना सिधारी पुलिस ने डीजल चोरी के अभियोग में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर 3,465 रुपये कीमत का चोरी का डीजल किया बरामद।

1. थाना बरदह: हत्या के प्रयास के मामले में अभियुक्त गिरफ्तार
पूर्व की घटना का विवरण- दिनांक 10.09.2026 को वादी मुकदमा मनोज बिन्द पुत्र सुबेदार बिन्द निवासी ग्राम कुम्भ, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना बरदह पर सूचना दी गई कि पुरानी रंजिश को लेकर उनके भाई को राजगंज बाजार से चौकी गांव के मध्य रास्ते में रोककर गाली-गलौज करते हुए मारपीट की गई तथा लोहे की पाइप से सिर पर जानलेवा प्रहार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। उक्त सूचना के आधार पर थाना बरदह पर मु0अ0सं0 302/2026 धारा 109(1), 352, 351(3) व 115(2) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान अन्य अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आने पर धारा 3(5) व 324(4) बीएनएस की वृद्धि की गई।
गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 10.11.2026 को उ0नि0 रितेश खरवार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त शिवम कुमार पुत्र राजबली निवासी ग्राम कुम्भ, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 20 वर्ष को सरायमोहन तिराहे के पास से समय करीब 12:20 बजे गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में अभियुक्त अपनी गलती की माफी मांग रहा है। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

2. थाना सिधारी: डीजल चोरी के अभियोग में अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी का डीजल बरामद
पूर्व की घटना का विवरण- दिनांक 09.11.2026 को वादी मुकदमा प्रवीण कुमार यादव पुत्र विनय कुमार यादव निवासी मलिकपुरा, थाना सादियाबाद, जनपद गाजीपुर द्वारा थाना सिधारी पर लिखित तहरीर दी गई कि वाहन संख्या UP50CX5999 के चालक द्वारा करीब 3,465 रुपये तथा एक स्कॉर्पियो वाहन के चालक द्वारा करीब 4,500 रुपये का ईंधन चोरी कर लिया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिधारी पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी का विवरण- दिनांक 10.11.2026 को उ0नि0 मृत्युंजय सिंह मय हमराह द्वारा बैठौली बाईपास पर पुल के पास से अभियुक्त सौरभ कुमार राय पुत्र मनोज कुमार राय निवासी रेवड़ी डीह, थाना कोपागंज, जनपद मऊ, उम्र करीब 32 वर्ष को समय करीब 08:45 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी का 3,465 रुपये कीमत का डीजल बरामद किया गया। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर अभियोग में सुसंगत धारा की वृद्धि की गई है। पूछताछ में अभियुक्त ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए अपनी सफाई मा0 न्यायालय में अधिवक्ता के माध्यम से देने की बात कही। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमें—

थाना बरदह: उ0नि0 रितेश खरवार एवं का0 ललित सरोज।

थाना सिधारी: उ0नि0 मृत्युंजय सिंह, का0 गौरव जायसवाल एवं का0 आकाश कुमार।

थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़

नौकरी दिलाने का झांसा देकर युवतियों की खरीद-फरोख्त कर अनैतिक व्यापार में धकेलने वाले गिरोह का एक और अभियुक्त बिहार से गिरफ्तार

□ युवतियों को नौकरी दिलाने का झांसा देकर बिहार ले जाकर अनैतिक व्यापार के लिए बेचने वाले गिरोह का एक और सदस्य गिरफ्तार।

□ पूर्व में गिरफ्तार 02 अभियुक्तों से पूछताछ एवं विवेचना में प्रकाश में आए अभियुक्त गफ्फार मिया को बिहार के पूर्वी चंपारण से किया गया गिरफ्तार।

घटना का विवरण-

दिनांक 18.03.2026 को थाना अहरौला क्षेत्रान्तर्गत एक महिला द्वारा अपनी करीब 18 वर्षीय पुत्री के बिना बताए घर से चले जाने के संबंध में थाना अहरौला पर तहरीर दी गई थी। जिसके आधार पर मु0अ0सं0 70/2026 धारा 87 बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान धारा 143/144/111 बीएनएस एवं धारा 5 अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम (ITPA), 1956 की वृद्धि की गई।

उक्त अभियोग में दिनांक 06.11.2026 को अभियुक्त अभिषेक राज एवं उसकी पत्नी सितारा खातून को बिहार के पूर्वी चंपारण से गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। विवेचना में प्रकाश में आया कि अभियुक्तगण युवतियों को नौकरी दिलाने का झांसा देकर बिहार ले जाते थे तथा अनैतिक व्यापार में संलिप्त व्यक्तियों के हाथों बेच देते थे।

गिरफ्तारी का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में निरीक्षक मनीष मणि त्रिपाठी मय हमराह पुलिस टीम द्वारा बिहार के जनपद पूर्वी चंपारण में दबिश दी गई। दिनांक 09.11.2026 को रात्रि करीब 21:00 बजे थाना मधुबन क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सरैया स्थित अभियुक्त के घर से गफ्फार मिया को गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वह अपने साथियों के साथ रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर अकेली एवं परेशान युवतियों को नौकरी दिलाने का झांसा देकर अपने जाल में फंसाता था। इसके बाद उन्हें बिहार ले जाकर सरिता नामक महिला के हाथों बेच दिया जाता था, जहां उनका शोषण कर अनैतिक व्यापार कराया जाता था। अभियुक्त ने कुशीनगर, महराजगंज, देवरिया एवं गोरखपुर सहित विभिन्न जनपदों की दर्जनों युवतियों को नौकरी का झांसा देकर बेचने की बात बताई है। प्रकरण में अन्य संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

गफ्फार मिया पुत्र नवाजुद्दीन मिया, उम्र करीब 42 वर्ष, निवासी ग्राम सरैया मधुवन, थाना मधुवन, जनपद पूर्वी चंपारण, बिहार।

वांछित अभियुक्तगण-

1. बिन्द्या पत्नी गफ्फार मिया, निवासी ग्राम सरैया मधुवन, जनपद पूर्वी चंपारण, बिहार।

2. सुरेश राम पुत्र बासूदेव राम, निवासी ग्राम बखरा, वार्ड नं0 20, थाना मोतीपुर, जनपद मुजफ्फरपुर, बिहार।
3. छोटू राम पुत्र कैलाश राम, निवासी ग्राम बखरा, वार्ड नं0 20, थाना मोतीपुर, जनपद मुजफ्फरपुर, बिहार।
4. महेश पुत्र अज्ञात, निवासी महनवा चौक, जनपद मोतीहारी, बिहार।
5. गीता पत्नी महेश, निवासी महनवा चौक, जनपद मोतीहारी, बिहार।
6. सरिता पत्नी छोटू, निवासी लेवालार चौक, मोतीहारी, बिहार।
7. अली पुत्र अज्ञात, निवासी किशनगंज, बिहार।

पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0सं0 70/2026 धारा 87/143/144/111 बीएनएस एवं धारा 5 अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम (ITPA), 1956, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-
मु0अ0सं0 46/2024 धारा 363 भादवि, थाना खुखुन्दू, जनपद देवरिया।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-
निरीक्षक मनीष मणि त्रिपाठी, का0 सुधीर प्रजापति, का0 अमित पाण्डेय एवं म0का0 वन्दना सिंह, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।

थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़

☐ पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने वाले 01 अभियुक्त गिरफ्तार एवं 01 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

☐ दो पक्षों के बीच गोली चलने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर किया था जानलेवा हमला।

घटना का विवरण-
दिनांक 09.11.2026 को थाना रौनापार क्षेत्रान्तर्गत दो पक्षों के मध्य गोली चलने की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी। इस दौरान दोनों पक्षों के व्यक्तियों द्वारा एकराय होकर पुलिस टीम को जान से मारने की नीयत से लक्ष्य बनाकर फायरिंग की गई, जिसमें पुलिसकर्मी बाल-बाल बच गए। साथ ही जान से मारने की धमकी देते हुए अभियुक्त मौके से फरार हो गए। इस संबंध में उ0नि0 अनुराग कुमार पाण्डेय की तहरीर पर थाना रौनापार पर मु0अ0सं0 318/2026 धारा 3(5), 109(1), 351(3) बीएनएस के तहत 06 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी/पुलिस अभिरक्षा का विवरण-
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सगड़ी के पर्यवेक्षण तथा थानाध्यक्ष रौनापार के नेतृत्व में दिनांक 10.11.2026 को उ0नि0 सुभाष तिवारी मय हमराह पुलिस बल द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर कैची बंधा से समय करीब 13:45 बजे अभियुक्त धनन्जय यादव को गिरफ्तार किया गया तथा 01 बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-
धनन्जय यादव पुत्र रामनगीना यादव, उम्र करीब 33 वर्ष, निवासी ग्राम गांगेपुर गाँधीनगर, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।

बाल अपचारी-
01 बाल अपचारी (नाम व पता गोपनीय)।

पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0सं0 318/2026 धारा 3(5), 109(1), 351(3) बीएनएस, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-
उ0नि0 सुभाष तिवारी, उ0नि0 अनुराग कुमार पाण्डेय, का0 धर्मेन्द्र कुमार, का0 अमरजीत यादव, का0 मंगला एवं का0 कुन्दन यादव, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।